

रिक्त पदों का विवरण

क्र० स०	विषय/ विभाग	प्रोफेसर					एसोसिएट प्रोफेसर					असिस्टेंट प्रोफेसर				
		UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS	UR	OBC	SC	ST	EWS
1.	अर्थशास्त्र	-	01	01	-	-	-	-	01	-	-	01	01	01	-	-
2.	समाजशास्त्र	01	01* ¹	-	-	-	-	01* ³	-	-	-	04* ⁵	-	03	01	01
3.	मनोविज्ञान	-	01	-	-	-	-	01* ⁴	01	-	-	02	-	-	01	-
4.	समाजकार्य	01* ²	-	01	-	-	01	-	-	-	-	03* ⁶	-	-	-	02
5.	अंग्रेजी	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
6.	हिन्दी	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	03* ⁷	-	-	-	01
7.	इतिहास	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	03* ⁸	01	02* ¹¹	-	01
8.	दर्शनशास्त्र	01	-	-	-	-	-	01	-	-	-	01	01	-	-	-
9.	पत्रकारिता संस्थान	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	राजनीतिशास्त्र	-	-	-	-	01	01* ⁹	-	-	-	-	03* ¹⁰	02	-	-	-
11.	शिक्षाशास्त्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	03	01	-	-	-
12.	संस्कृत	-	-	-	-	-	-	-	-	01	03	-	02	-	01	-
13.	पत्रकारिता विभाग	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	01	-	-	-	-
14.	ललितकला	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
15.	वाणिज्य	01	-	-	-	-	-	01	-	-	01	02	-	01	-	-
16.	विधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-	-
17.	सांख्यिकी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-
18.	गांधी अध्ययनपीठ	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	उर्दू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	02* ¹²	01* ¹²	-	-	-
20.	शारीरिक शिक्षा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
21.	कम्प्यूटर विज्ञान एवं अनुप्रयोग	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	मंचकला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-
योग-		05	05	03	-	01	04	05	03	-	02	34	11	10	02	07

- *¹—प्रोफेसर—समाजशास्त्र OBC-01पद Criminology में विशेषीकरण का है।
*²—प्रोफेसर—समाजकार्य UR -01पद Industrial Relation and labour welfare में विशेषीकरण का है।
*³—एसोसिएट प्रोफेसर—समाजशास्त्र OBC-01पद Criminology में विशेषीकरण का है एवं दिव्यांग हेतु आरक्षित है।
*⁴—एसोसिएट प्रोफेसर—मनोविज्ञान का OBC-01 पद Social Psychology/Industrial Psychology/ Clinical Psychology में विशेषीकरण का है।
*⁵—असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजशास्त्र के UR-04 पदों में से 01पद—Criminology में विशेषीकरण, 01पद—Social Statistics में विशेषीकरण के हैं।
*⁶—असिस्टेंट प्रोफेसर—समाजकार्य के UR-03पदों में से 01पद—दिव्यांग (दृष्टबाधित या कम दृष्टि) हेतु आरक्षित है।
*⁷—असिस्टेंट प्रोफेसर—हिन्दी के UR-03पदों में 01पद दिव्यांग हेतु आरक्षित है।
*⁸—असिस्टेंट प्रोफेसर—इतिहास के UR-03पदों में 01पद Modern European History में विशेषीकरण का है।
*⁹—एसोसिएट प्रोफेसर—राजनीतिशास्त्र के UR-01पद 'राजनीति सिद्धान्त' में विशेषीकरण का है।
*¹⁰—असिस्टेंट प्रोफेसर—राजनीतिशास्त्र के UR-03पदोंमें 01पद Comparative Politics/Political Development में एवं 01पद में Modern Political Analysis में विशेषीकरण का है।
*¹¹—असिस्टेंट प्रोफेसर—इतिहास SC-01 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर—वाणिज्य UR-01 पद 30जून, 2027 को रिक्त होगा।
*¹²—असिस्टेंट प्रोफेसर—उर्दू के UR-02पद एवं OBC-01पद माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में योजित याचिका संख्या-9228/2020 में पारित निर्णय से आच्छादित होगा।

वेतनमान :

1. प्रोफेसर : Academic Level – 14 with rationalized entry pay of Rs.1,44,200
2. एसोसिएट प्रोफेसर : Academic Level – 13A with rationalized entry pay of Rs.1,31,400
3. असिस्टेंट प्रोफेसर : Academic Level – 10 with rationalized entry pay of Rs.57,700

नोट :- आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
विज्ञापन संख्या-2/2026 – आवश्यक तिथियाँ एवं आवेदन-शुल्क

विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkvp.ac.in पर उपलब्ध समर्थ पोर्टल के लिंक https://mgkvpred.samarth.edu.in/ के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि	दिनांक 01-03-2026 से 15-04-2026 तक
इण्डियन बैंक के पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करने की तिथि	दिनांक 01-03-2026 से 15-04-2026 तक
ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 16-04-2026 को अपराह्न 5:00 बजे तक

वेबसाइट से प्रिन्ट किये गये आवेदन की प्रति समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 25-04-2026 तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क :

UR	: रू.2500.00 (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र)।
EWS	: रू.2500.00 (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र)।
OBC	: रू.2500.00 (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र)।
SC	: रू.2000.00 (रूपये दो हजार मात्र)।
ST	: रू.2000.00 (रूपये दो हजार मात्र)।

अर्हता :-

1. विज्ञापित पदों की अर्हता एवं अन्य शर्तें उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उ0प्र0शासन द्वारा संशोधित अभिनव मानक तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार किये गये नवीनतम संशोधनों के अधीन होंगी।
2. University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other academic staff in universities and colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018, all Amendment such as through its wide Letter **F.No.9-1/2010(PS/Misc)pt/Vol-II** Dated October 12, 2021 will be applicable for as certaining Minumum eligibility as case may be.
3. राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के संलग्न आदेश संख्या-ई-4229/जी0एस0 दिनांक 02 जुलाई, 2021 व अन्य के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

निर्देश :-

1. ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात् उसका प्रिन्ट डाउनलोड कर समस्त संलग्नों सहित दिनांक **25-04-2026** तक विश्वविद्यालय को केवल पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट के माध्यम से प्राप्त कराना आवश्यक है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. सहायक आचार्य के पदों हेतु आवेदन उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-भा0स0-42/सत्तर-1-2021 उच्च शिक्षा अनुभाग-1 दिनांक 28 अक्टूबर, 2021 एवं यू0जी0सी0 के पत्रांक-F.No.9-1/2010(PS/Misc)pt/Vol-II Dated October 12, 2021 के आलोक में आमंत्रित किये जा रहे हैं।
3. आवेदित पद/पद का संवर्ग/अभ्यर्थी का संवर्ग, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि सूचनायें आवेदन-पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित करना अनिवार्य है। अस्पष्ट/अपूर्ण/भ्रामक सूचना की स्थिति में भी आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसकी सूचना अलग से नहीं दी जायेगी।
4. **प्रत्येक पद एवं संवर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।** इन पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक **01-03-2026** को अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार उ0प्र0 के निवासी होने पर आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा। आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन-पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र (छः माह के भीतर जारी किया हुआ) संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्र में क्रिमीलेयर (Creamy Layer) के होने/न होने का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित पदों के अभ्यर्थियों को पिता के नाम सहित आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। इसके अभाव में संगत लाभ देय नहीं होगा।
6. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य आरक्षण देय है। दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
7. जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या-1/2023 के अन्तर्गत आवेदन किया था उन्हें उसी पद पर वर्तमान विज्ञापन संख्या-2/2026 के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन करने पर उनके द्वारा पूर्व में जमा किया गया शुल्क वापस करने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गयी है। इस हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को विज्ञापन संख्या-1/2023 के अन्तर्गत जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट की छायाप्रति तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं आवेदन-पत्र के प्रथम पृष्ठ का सम्पूर्ण विवरण संलग्न कर ई-मेल **recruitment2026@mgkvp.ac.in** पर प्रेषित करना आवश्यक होगा।
8. स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष के परीक्षाकाल पर की जाएगी जिसे एक वर्ष से अनधिक काल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
9. दिनांक 30 जून, 2027 को रिक्त हो रहे पदों पर नियुक्ति 01 जुलाई, 2027 से प्रभावी होगी।
10. उ0प्र0शासन के नियमानुसार वेतन, भत्ते, न्यू पेंशन एवं अन्य सुविधायें देय होंगी।
11. विज्ञापित पदों में से एक या अधिक पदों पर नियुक्ति न करने अथवा विज्ञापित पद को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा। चयन समिति के समय तक विज्ञापित विषयों में रिक्तियाँ उपलब्ध होने की स्थिति में पदों की संख्या बढ़ायी जा सकती है। अर्थात् पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

12. आवेदन-पत्रों की जाँच/स्क्रीनिंग के उपरान्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा सकता है।
13. साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक (Provisional) बुलावा-पत्र प्रेषित किया जायेगा जो निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण होने पर मान्य होगा। त्रुटिवश या मानक पूर्ण न होने पर निर्गत साक्षात्कार बुलावा पत्र अमान्य होगा।
14. साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
15. आवेदकों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या विषयवार/पदवार भिन्न-भिन्न हो सकती है जिनमें से कुछ अथवा समस्त को साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है।
16. आवेदन-पत्र में उल्लिखित योग्यता/अर्हता/अनुभव आदि के प्रमाण स्वरूप अपेक्षित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
17. डाउनलोड किये गये आवेदन-पत्र का प्रिन्ट समस्त प्रपत्रों के साथ केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि **25-04-2026** है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, फलतः निरस्त कर दिये जायेंगे, जिसकी सूचना अलग से नहीं दी जाएगी।
18. विज्ञापन संख्या-2/2026 के अन्तर्गत नियुक्ति से सम्बन्धित सभी आपत्तियाँ ई-मेल **recruitment2026@mgkvp.ac.in** के माध्यम से प्रेषित की जा सकती है।
19. ऑनलाइन आवेदन के प्रिन्ट समस्त प्रपत्रों के साथ प्रेषित किये जाने वाले लिफाफे पर स्पष्ट रूप से लिखें :-
 - (i) विज्ञापन संख्या-2/2026
 - (ii) आवेदित पद का नाम, विषय, संवर्ग एवं विषय-विशेषीकरण यदि कोई हो।
20. पूरित आवेदन-पत्र प्रेषित करने का पता :- कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221002.

कुलसचिव